— प्रेस नोट —

दिनांक 25.09.2020

थाना जमालपुर पुलिस द्वारा गो-तस्करी में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पुलिस द्वारा गो-तस्करी में वाछिंत अभियुक्त राजीउद्दीन खां उर्फ राजू खां निवासी ग्राम नौघरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर बिहार को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 15.08.2020 को क्रूरता पूर्वक बोलेरो वाहन से 03 राशि गोवंशों को वध हेतु ले जाते हुए बरामद किया गया था. जिसमे अभियुक्त फरार हो गया था, इस संबंध में थाना जमालपुर पर गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था उक्त अभियोग की विवेचना/ वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में बड़ी कार्यवाही करते हए दिनांक 24.09.2020 को समय लगभग 19.05 बजे उ0नि0 राजेश प्रताप सिंह थाना जमालपुर मयहमराह हे0का0 सियाराम राम,का0 चन्द्रशेखर यादव के द्वारा जरिये मुखबीर की सूचना पर वाछिंत अभियुक्त राजीउद्दीन खां उर्फ राजू खां निवासी ग्राम नौघरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर बिहार को उसके ग्राम नौघरा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।